



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 2006
फाल्गुन 29, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 261/सात-वि-1-01(क)-8-2006
लखनऊ, 20 मार्च, 2006

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 20 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002 में नई धारा 2-क का बढ़ाया जाना

2-क (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना का इच्छुक हो, ऐसे विशेष आर्थिक प्रपत्र में जिसमें ऐसे विवरण और दस्तावेज अन्तर्विष्ट हों, और ऐसे परिक्षेत्र की स्थापना शुल्क के साथ जिन्हें विहित किया जाय, राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की संवीक्षा करेगी और उसे उपान्तरण, यदि कोई हो, सहित उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अनुमोदित और घोषित करने के लिये तथा ऐसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के निमित्त विकासकर्ता को अधिसूचित करते हुए भारत सरकार से सिफारिश करेगी।

उद्देश्य और कारण

राज्य में कतिपय क्षेत्रों को औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्रों के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्राधिकरण स्थापित करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002) बनाया गया है। यह अधिनियम 7 सितम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) संसद द्वारा बनाया गया है जो 23 जून, 2005 को प्रवृत्त हुआ। चूंकि संसद के उक्त अधिनियम में निजी क्षेत्र में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना की व्यवस्था है, अतएव 2002 के उक्त अधिनियम में यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है कि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति ऐसे प्रपत्र में जिसमें ऐसे विवरण और दस्तावेज अन्तर्विष्ट हों और ऐसे शुल्क के साथ जिन्हें विहित किया जाय, राज्य सरकार को आवेदन करेगा और राज्य सरकार आवेदन की संवीक्षा करेगी और उसे उसी रूप में या उपान्तरण सहित उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अनुमोदित और घोषित करने के लिये तथा ऐसे आर्थिक परिक्षेत्र के निमित्त विकासकर्ता को अधिसूचित करते हुए भारत सरकार से सिफारिश करेगी।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 261/VII-V-1-1(ka)-8-2006
Dated Lucknow, March 20, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishesh Arthik Parikshetra Vikas Pradhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 20, 2006.

THE UTTAR PRADESH SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
(AMENDMENT) ACT, 2006
(U.P. ACT No. 9 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority (Amendment) Act, 2006. Short title

2. After section 2 of the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 2-A of U.P. Act no. 10 of 2002

2-A (1) Any person desirous of establishing the Special Economic Zone Establishment of Special Economic Zone shall make an application in such form containing such particulars and documents and accompanied by such fees as may be prescribed, to the State Government.

(2) The State Government shall scrutinize the application received under sub-section (1) and recommend the same, with modification, if any, to the Government of India for its approval and declaration of the area to be the Special Economic Zone and notifying the developer for such Special Economic Zone.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 (U.P. Act no. 10 of 2002) has been enacted to provide for the establishment of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban economic zones and for matters connected therewith and incidental thereto. This Act came into force on September 7, 2002. The Special Economic Zone Act, 2005 (Act no. 28 of 2005) has been enacted by the Parliament which came into force on June 23, 2005. since the said Act of Parliament provides for the establishment of Special Economic Zone in private sector, it has been decided to amend the said Act of 2002 to provide that any person desirous of establishing the Special Economic Zone shall make an application in such form containing such particulars and documents and accompanied by such fees as may be prescribed, to the State Government and the State Government shall scrutinize the application and recommend the same or with modification to the Government of India for its approval and declaration of the area to be the Special Economic Zone and notifying the developer for such Special Economic Zone.

The Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.